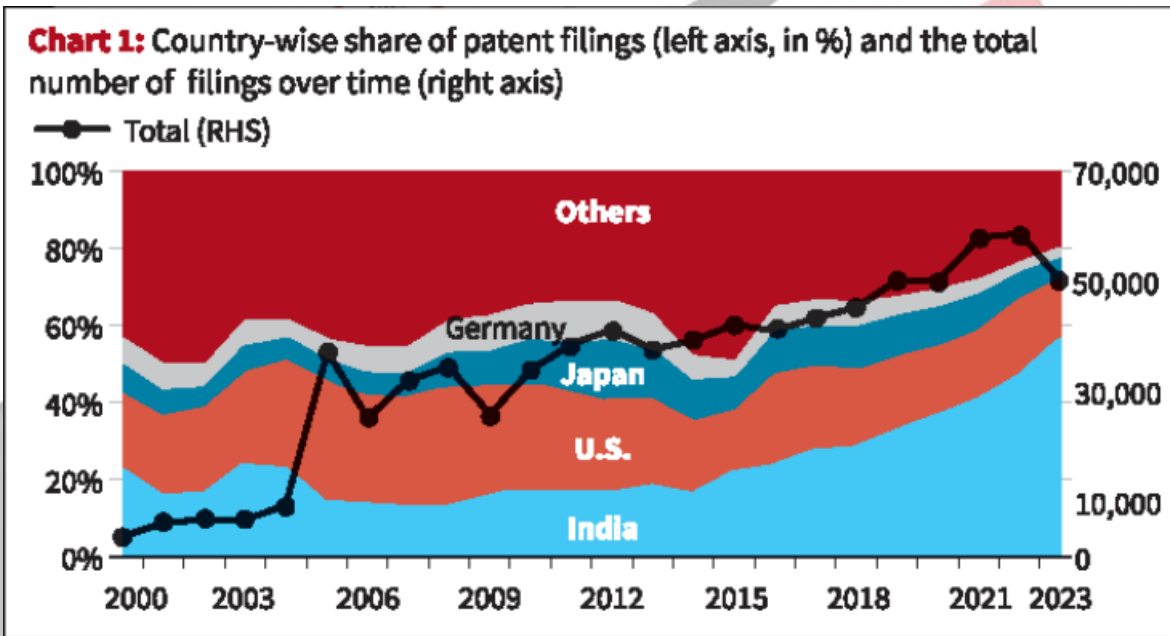


भारत के पेटेंट इकोसिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत की मेक इन इंडिया महत्वाकांक्षा का मूल आधार नवाचार है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मजबूत पेटेंट इकोसिस्टम निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता **डेविड ग्रांस** ने उल्लेख किया है, भारत को “खोज करनी चाहिये, फरि आविष्कार करना चाहिये और उसके बाद निर्माण करना चाहिये।” अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गहराई देने और पेटेंट सृजन में तेज़ी लाने के माध्यम से भारत एक प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से वैश्विक प्रौद्योगिकी नवोन्मेषक के रूप में विकसित हो सकता है।



भारत के पेटेंट परदृश्य में प्रमुख रुझान क्या हैं?

- भारत ने वर्ष 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखलि करने में 6वें स्थान पर आकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत ने 1 लाख से अधिक पेटेंट स्वीकृत किये, जो वर्ष 2015 की तुलना में 17 गुना वृद्धि दर्शाता है।
- पछिले 5 वर्षों में भारत में कुल बौद्धिक संपदा (IP) दाखलों में 44% की वृद्धि हुई है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और भौगोलिक संकेतक (GI) शामिल हैं।
- वशिवविद्यालय IP सेल्स और कानूनी सहायता इकाइयों के माध्यम से भारत के पेटेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे फाइलिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मुद्राकरण में सहायता मिल रही है।
 - उदाहरण के लिये, IIT मद्रास ने वर्ष 2022-2023 में अपने पेटेंट को दोगुना कर दिया।
- ट्रेडमार्क के क्षेत्र में, भारत [WIPO 2024](#) में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा, जहाँ धीमी विकास दर के बावजूद आवेदनों की संख्या वर्ष 2016-17 में लगभग 2 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 4.8 लाख हो गई।

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो पेटेंट पाइपलाइन में CLOG के रूप में परिलक्षित होती हैं:

- **C - वदेशी दाखलों पर केंद्रति:** भारत का नवाचार फीका पड़ गया है क्योंकि भारत में स्वीकृत पेटेंटों में से **74%** से अधिक **वदेशी संस्थाओं** को मिलते हैं।
- **L - कम अनुसंधान एवं विकास निवेश:** **GDP का केवल 0.67%** ही अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च किया जाता है, जिसके कारण उच्च मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेटेंट उत्पन्न करने के लिये **आवश्यक बुनियादी अनुसंधान की कमी है।**
- **O - अत्यधिक बोझिल और पुरानी प्रक्रियाएँ:** कुशल परीक्षकों की गंभीर कमी और अप्रभावी प्रक्रियाओं के कारण भारत में **औसत पेटेंट स्वीकृति समय 58 महीने** है, जबकि यही प्रक्रिया **चीन में 20 महीने** और **अमेरिका में 21 महीने** लेती है, जो नवप्रवर्तकों के लिये एक बड़ी बाधा है।
- **G - प्रवर्तन में अंतराल:** भारत में **बौद्धिक संपदा संरक्षण** में अंतराल, **धीमी न्यायिक प्रक्रियाएँ** और **बढ़ती डिजिटल पाइरेसी** रचनाकारों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा को सीमिति करती रहती हैं।
 - इसके अलावा, यद्यपि भारत ने पेटेंट फाइलिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, **लेकिन इन पेटेंटों का बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण अभी भी सीमिति है।**

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम को बदलने हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- **CLOG** को दूर करने के लिये, भारत को अपने पेटेंट इकोसिस्टम को बदलने के लिये **REFORM** के तहत एक रणनीतिक योजना लागू करनी होगी।
- **R - न्यायिक और कानूनी सुधार:** त्वरति विवाद समाधान के लिये समर्पित **IP कोर्ट** स्थापित करें और उल्लंघन के लिये दंड को सुदृढ़ करें।
 - सरकार को AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के पेटेंट को प्रोत्साहित करने के लिये **पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(k)** जैसे पुराने कानूनों की भी समीक्षा करनी चाहिये।
- **E - इकोसिस्टम का निर्माण:** शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच मज़बूत साझेदारियों को बढ़ावा देना। इससे **इनोवेशन हब और इनक्यूबेटर** के लिये एक सहायक वातावरण तैयार होगा, जो नए **अनुसंधान व पेटेंट फाइलिंग** को प्रोत्साहित करेगा।
- **F - अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना:** नज़ी क्षेत्र में **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** व्यय बढ़ाने के लिये **मज़बूत कर प्रोत्साहन और वैचर कैपिटल फंडिंग** प्रदान करना।
- **O - प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना:** पेटेंट कार्यालय को **उपयोगकर्त्ता-अनुकूल डिजिटल पोर्टल** से आधुनिक बनाएँ और **प्रीयर-आर्ट सर्च** के लिये AI का उपयोग करना। इससे पेटेंट प्रक्रिया की पूरी शृंखला, फाइलिंग से लेकर अनुमोदन तक, अधिक सुवधाजनक और सुगम हो जाएगी।
- **R - संसाधन सृजन:** कुशल परीक्षकों की संख्या बढ़ाकर, आधुनिक डिजिटल अवसंरचना से **पेटेंट कार्यालयों को उन्नत करके**, त्वरति जाँच के लिये **AI-सक्षम उपकरण** लागू करके और **नरितर कौशल विकास के लिये समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके** भारत की बौद्धिक संपदा (IP) क्षमता को सुदृढ़ करना।
- **M - वैश्विक साझेदारियों को सक्रिय करना:** **वैश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** जैसी संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भाग लें, ताकि **सीमा-पार फाइलिंग** को सुगम बनाया जा सके और **वदेशी निवेश** आकर्षित हो, जिससे वैश्विक सहयोग के अवसर खुलें।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को मज़बूत करने हेतु मुख्य सरकारी पहलें

राष्ट्रीय IPR नीति 2016

भारत में IPR विकास को मार्गदर्शित करने वाला एक व्यापक दृष्टि दस्तावेज़, जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है और कानूनी रूपरेखा को मज़बूत करता है।

KAPILA

कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस अभियान (KAPILA) उच्च शिक्षा में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देता है, IPR जागरूकता को बढ़ाता है तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा पेटेंट फाइलिंग को सरल बनाता है।

NIPAM

नेशनल (IP) अवेयरनेस मिशन (NIPAM) व्यापक स्तर पर IPR जागरूकता उत्पन्न करता है, ज़मीनी स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करता है और विभिन्न हितधारकों के लिये ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराता है।

अटल नवाचार मिशन

नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जिससे विभिन्न पहलों के माध्यम से बौद्धिक संपदा सृजन में योगदान मिलता है।

पुरस्कार/ प्रोत्साहन एवं मान्यता

जैसे: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। यह उत्कृष्ट नवोन्मेषकों और संगठनों को सम्मानित करता है, जागरूकता बढ़ाता है और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

मेन्स के लयि की-वर्ड्स

- “भारत का मसतषिक पेटेंट है, भारत का हृदय समावेशी है” – नवाचार में समावेशिता ।
- “संकल्पशील, अनुकूल, भवषियोन्मुख” – जुगाड़ से वैश्विक मानकों तक नवाचार ।
- “जनसांख्यिकीय लाभांश से नवाचार लाभांश तक” – युवाओं द्वारा संचालित बौद्धिक संपदा (IP) वृद्धि ।

नषिक्कः

वैश्विक नवप्रवर्तक के रूप में भारत का भविष्य उसकी गहरी जड़ें जमाए हुई व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। **एवब्यापक पुनर्रजीवन रणनीति अपनाकर**, जिसमें **अनुसंधान एवं विकास (R&D)** को सुदृढ़ करना, **बौद्धिक संपदा (IP)** इकोसिस्टम को सरल बनाना और रचनात्मक प्रतर्भा समूह को विकसित करना शामिल है — भारत अपनी पूर्ण क्षमता को उजागर कर सकता है और एक आत्मनिर्भर तथा वैश्विक स्तर पर प्रतस्पर्द्धी राष्ट्र में परिवर्तित हो सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्नः

प्रश्न. "भारत में पेटेंट फाइलिंग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, इन पेटेंटों के व्यावसायीकरण की दर कम बनी हुई है।" इस अंतर के लिये ज़िम्मेदार कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और भारत की बौद्धिक संपदा के वाणिज्यिक परिणाम को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर वभिेदन कीजिये। (2014)